



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265598
CG-DL-E-21082025-265598

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3714]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947

No. 3714]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

का.आ. 3818(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-33 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80) के मोकामा से मुंगेर खंड तक डिजाईन चैनेज फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 0+000 कि.मी. से 81+000 कि.मी. तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मोकामा से मुंगेर खंड तक फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-33 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80) के कि.मी. 0+000 (मोकामा बाईपास) से कि.मी. 81+000 (चाननपुरा, मुंगेर) तक डिजाईन चैनेज बिहार राज्य में।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला भूअर्जन पदाधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	बिहार	लखीसराय	बरहिया	1 इंगलिश (186)

		NH80 के कि.मी 8.4 से कि.मी 66.3 तक			सूरजगढा	1	चक अब्दुल कादीर निजामत (150)
2	जिला भू- अर्जन पदाधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH80 के कि.मी 20.7 से कि.मी 23.3 तक	बिहार	शेखपुरा	घाट कुसुम्भा	1	आलापुर (158)

[फा. सं. 12010/NHAI/PIU-BGP/MOK-MUG/LA]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2025

S.O. 3818(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land for Four Lane Greenfield Expressway from Mokama to Munger section design chainage from Km. 0+000 (Mokama bypass) to Km. 81+000 (Chananpura, Munger) of NH-33 (Old NH-80) for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of BIHAR

SCHEDULE

Land acquisition for "Construction of Four Lane Greenfield Expressway from Mokama to Munger section design chainage from Km. 0+000 (Mokama bypass) to Km. 81+000 (Chananpura Munger) of NH-33 (Old NH-80) in the State of BIHAR.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	District Land Acquisition Officer	NH80 KM 8.4 TO KM 66.3	BIHAR	LAKHISARAI	Barahiya	1 English (186)
					Surajgarha	1 Chak Abdul Kadir Nijamat (150)
2	District Land Acquisition Officer	NH80 KM 20.7 TO KM 23.3	BIHAR	SHEIKHPURA	Ghat Kusumbha	1 Alapur (158)

[F. No. 12010/NHAI/PIU-BGP/MOK-MUG/LA]

SHAIKH AMINKHAN, Director